14.27 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1980*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now come to the next item. The Railway Minister may move the Appropriation Bill.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1979-80 for the purposes of Railways.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1979—84 for the purposes of Railways."

The motion was adopted.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: I introduce** the Bill.

14.29 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. PREVENTION OF BLACK-MARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES AND PREVENTION OF BLACKMARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES BILL.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अक्तूबर, 1979 को प्रख्यापित चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश 5 अक्तूबर को जारी किया गया था। उस समय यहां कामचलाऊ सरकार थी। हम आशा करते थे कि वर्तमान सरकार एक नया शुभारम्भ करेगी, लेकिन—

"प्रथम ग्रासे मक्षिका पात:।"

सत्ता सम्भालते ही निवारक नजरबन्दी जैसे काले कानून को आते देर नहीं लगी। पिछले तीन महीनों से यह अध्यादेश प्रभावी था। क्या इन तीन महीनों में इस अध्यादेश के द्वारा मूल्यों की वृद्धि पर नियन्त्रण पाया जा सका? क्या मुनाफ़ाखोरी रुकी और चोर-बाजारी पर अंकुश लगा? क्या जमाखोरी समाप्त हो गई? मैं जानता हूं—वाणिज्य मंत्री यह कहगे कि राज्य सरकारों ने इस कानून पर अमल करने से इन्कार किया, लेकिन यह पूरा तथ्य नहीं है ...

श्री बिरधी चन्द जैन (बाड़मेर) : यह बिलकुल सही तथ्य है। मैं राजस्थान सरकार के बारे में कह रहा हूं—उन्होंने इसका पालन नहीं किया।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : आन्ध्र प्रदेश की सरकार इस पर ईमानदारी से अमल कर रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली कन्द्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में इस कानून पर अमल करने की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की नहीं थी, जो जनता पार्टी के हाथ में है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इसका सम्बन्ध कानून और व्यवस्था से है।

दिल्ली में इस अध्यादेश के अन्तर्गत 8 लोगों को गिरफतार किया गया। कुछ व्यक्तियों पर चोर बाजारी का आरोप था, कुछ व्यक्तियों को खाद्य-तेलों की चोर-बाजारी के आरोप में पकड़ा गया था और कुछ पर सट्टा करने के आरोप थे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आरोप इतने शिथिल थे, इतने लचर थे कि एक व्यक्ति को छोड़ कर बाकी के सब व्यक्तियों के आरोप एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो दिल्ली में लेफ्टीनेन्ट गवर्नर है, वापस ले लिये। वह केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त है ...

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डेमान तथा निकोबार आइलैंड्स) : उसे जनता पार्टी ने नियुक्त किया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनता पार्टी द्वारा नियुक्त अगर सभी अफसर गलत थ तो फिर इस कानून का अमल में लाने के लिये आपको हजारों अफसरों को निकालना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है ... (व्यवधान) ...

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2

**Introduced with the recommendation dated 1-2-80 of the President.